राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार : दिल्ली जल बोर्ड
कार्यालय प्रथम् अपीलीय अधिकारी : (आर0टी0आई) : निदेशक (राजस्व)
कमरा न0 512 : वरुणालय फेज –।। : करोल बाग नई दिल्ली –110005
इस आदेश के अवलोनार्थ दिल्ली जल बोर्ड की बेवसाईट
www.delhijalboard.nic.in

14374 28

क्रमांकः दि0ज0बो0 / प्र0अ0अ0(आर0टी0आई)अपील न0 1496 / 2015 / दिनांकः 23.12.2015

श्रीमती लाजवन्ती चन्डकी,
12–ए, वैशाली नगर, अन्नपूर्णा रोड,
इन्दौर, मध्यप्रदेश–452009,

उप निदेशक (राजस्व) प0 / द0प0

आदेश

इस आदेश द्वारा श्रीमती लाजवन्ती चन्डकी, के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अधीन प्रस्तुत अपील दिनांक 12–10–2015 का निपटान किया गया।

दिनांक 23.12.2015 को अपील की सुनवाई की गई । नियत समयानुसार अपीलकर्त्ता श्रीमती लाजवन्ती चन्डकी, उपस्थित नहीं हुईं एवं जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि के रुप में कोई भी उपस्थित नहीं हुआ ।

प्रस्तुत अपील से पहले दिनांक 07.08.2015 को अपीलकर्त्ता ने जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में एक प्रार्थनापत्र दिया था, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण यह अपील दिनांक 12–10–2015 को दायर की । सहायक जनसूचना अधिकारी / जनसूचना अधिकारीं को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में इस गल्ती की पुर्नावृति न हो ।

आर0 टी0 आई0 की अपील का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (द0)–।।, गिरी नगर सहायक जनसूचना अधिकारी / जनसूचना अधिकारीं ने आर0 टी0 आई0 के प्रार्थनापत्र का उत्तर दे दिया है किन्तु क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (द0)–द्वारका सहायक जनसूचना अधिकारी / जनसूचना अधिकारीं ने आर0 टी0 आई0 के प्रार्थनापत्र का उत्तर नहीं दिया है । इस बात की पुष्टि अपीलकर्ता ने दूरभाष पर निजी सचिव, निदेशक (राजस्व) को भी कर दी है । अतः क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (द0)–द्वारका, सहायक जनसूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता की शिकायत की पुनः भली भांति जांच करके उत्तर इस आदेश के पारित होने के सात दिन के अन्दर प्रदान किया जाए और उनकी शिकायत को दूर करने का प्रयत्न करें ।

उपरोक्तानुसार अपील का निपटान किया गया ।

यदि अपीलकर्त्ता प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश अथवा प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश पारित करने के उपरान्त जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो अपीलकर्त्ता द्वितीय सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष निम्नलिखित पते पर अपनी अपील पुनः कर सकता हैं :–

केन्द्रीय सूचना आयोग,
द्वितीय तल, बी–विंग,
अगस्त क्रान्ति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली– 110066

EXECUTIVE ENGINEER
DY. No. 6694
Date 30/12/15

ह0 / –
निधि श्रीवास्तव
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमती लाजवन्ती चन्डकी, 12–ए, वैशाली नगर, अन्नपूर्णा रोड, इन्दौर, मध्यप्रदेश–452009,
2. उप निदेशक (राजस्व) प0 / द0प0 ।
3. क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (द0)–द्वारका ।
4. अधिशासी अभियन्ता (ई0डी0पी0), को दिल्ली जल बोर्ड की बेबसाईट पर इस आदेश को डालने हेतु।

Nidhi

प्रथम अपीलीय अधिकारी